न्यायालय जिला कलक्टर, बून्दी (राज.)

पीठासीन अधिकारी — अक्षय गोदारा
आई.ए.एस.

मिसल संख्या	तारीख दायरा	तारीख निर्णय
मैनुअल नं. 28/अपील/2022 (GCMS No. 2022/52)	09.05.2022	06.02.2024

1. नारायण सिंह आ. श्योसिंह जाति राजपूत, निवासी ग्राम रामपुरिया हाल निवासी ग्राम तीरथ तहसील तालेडा, जिला बून्दी
2. नन्द सिंह आ. श्योसिंह जाति राजपूत, निवासी ग्राम रामपुरिया हाल निवासी ग्राम तीरथ तहसील तालेडा, जिला बून्दी

— अपीलान्टस

बनाम

1. अमर सिंह आ. तंवर सिंह जाति राजपूत निवासी ग्राम तीरथ
2. किशन सिंह आ. श्योसिंह जाति राजपूत निवासी ग्राम तीरथ
3. जुगराज सिंह आ. तंवर सिंह जाति राजपूत निवासी ग्राम रामपुरियां
4. धनकंवर पुत्री श्योसिंह पत्नी केसर सिंह जाति राजपूत निवासी ग्राम पीपल्दा तहसील माण्डलगढ, जिला भीलवाडा (**मृतक** जर्ये कायम मुकामान एवं उत्तराधिकारी) :–

4/1.खान सिंह पुत्र केसर सिंह जाति राजपूत निवासी पीपल्दा
4/2.सत्यनारायण सिंह पुत्र केसर सिंह जाति राजपूत निवासी पीपल्दा
4/3.कल्याण सिंह पुत्र केसर सिंह जाति राजपूत निवासी पीपल्दा
4/4.गुड्डी पुत्री केसर सिंह जाति राजपूत निवासी पीपल्दा

5. प्रेम कंवर पुत्री तंवर सिंह जाति राजपूत निवासी ग्राम रामपुरिया
6. बृज कंवर पुत्री तंवर सिंह जाति राजपूत निवासी ग्राम रामपुरिया
7. मनोहर कंवर पत्नी तंवर सिंह जाति राजपूत निवासी ग्राम रामपुरिया
8. राजू सिंह आ. श्योसिंह जाति राजपूत निवासी ग्राम तीरथ
9. सज्जन कंवर पुत्री श्योसिंह जाति राजपूत निवासी ग्राम तीरथ
10. राजस्थान राज्य जर्ये तहसीलदार, तालेडा (जिला बून्दी)

— रेस्पोडेन्टस

अपील अन्तर्गत धारा 75 राजस्थान भू–राजस्व अधिनियम,1956

उपस्थित–

अपीलांटस की ओर से श्री कपिल सैनी, एडवोकेट।
रेस्पोडेन्टस की ओर से श्री प्रमोद कुमार सेन, एडवोकेट
रेस्पो.सं. 10 की ओर से पेरोकार सरकार।

जिला कलेक्टर; बून्दी

निर्णय

यह अपील अपीलांट ने तहसीलदार बून्दी द्वारा तस्दीक नामान्तरकरण संख्या 143 दिनांक 01.03.2005 ग्राम रामपुरिया से अप्रसन्न होकर अन्तर्गत धारा 75 राजस्थान भू. राजस्व अधिनियम, 1956 इस न्यायालय में पेश की है। अपीलाधीन विरासतन नामान्तरकरण खातेदार श्योसिंह वल्द रामसिंह के फोत हो जाने पर उसके वारिसान के पक्ष में तस्दीक किया गया है।

अपील प्रस्तुत होने पर क्रमांक 28/2022 पर दर्ज रजिस्टर की जाकर GCMS No. 2022/52 ऑनलाईन इन्द्राज किया गया। रेस्पो0 जरिये सम्मन आहूत किये गये तथा अधीनस्थ न्यायालय की पत्रावली तलब की गयी। मूल नामान्तरकरण प्राप्त होने पर बहस उभयपक्ष सुनी गई।

अभिभाषक अपीलांट ने बहस के दौरान अपील में अंकिततथ्यों पर प्रकाश डालते हुये तर्क प्रस्तुत किये कि ग्राम रामपुरिया (तत्कालीन तहसील बून्दी हाल तहसील तालेडा) की कृषि भूमि खसरा संख्या 67 रकबा 1 बीघा 05 बिस्वा, 68 रकबा 2 बीघा, 247/3 रकबा 6 बीघा कुल किता 3 कुल रकबा 9 बीघा 05 बिस्वा श्योंसिंह वल्द रामसिंह कौम राजपूत खातेदार दर्ज रेकार्ड थी। खातेदार श्योसिंह के फोत हो जाने पर राजस्व विभाग द्वारा अपीलांटस को सुनवाई का मौका दिये बिना दर्ज किये गये फोती नामान्तरकरण संख्या 143 दिनांक 01.3. 2005 में अपीलांट सं.1 नारायण सिंह का नाम मोहन सिंह एवं अपीलांट सं.2 नन्द सिंह का नाम रामसिंह दर्ज कर दिया गया, जो गलत है। आधार कार्ड, मतदाता फोटोपहचानपत्र एवं राशनकार्ड में अपीलांट सं.1 का नाम नारायण सिंह एवं अपीलांट सं.2 का नाम नन्द सिंह अंकित है। राजस्व रिकार्ड में उक्त दोनों के नाम गलत दर्ज हो जाने से अपीलांट उक्त भूमि पर राज्य सरकार एवं भारत सरकार द्वारा दी जाने वाली समस्त सहायता अनुदान एवं योजनाओं का लाभ नहीं ले पा रहे है। इसलिए उक्त नामान्तरकरण निरस्त किया जाकर सही नाम दर्ज करवाया जाना आवश्यक है। अपीलांटस अनपढ गरीब काश्तकार है जिन्हे कानून की जानकारी नहीं है। बैंक से कृषि ऋण प्राप्त करने के लिए जब उक्त भूमि की जमाबंदी की नकल प्राप्त की गई तो अपीलांटस को उनका नाम गलत दर्ज होने की जानकारी हुई। तब अपीलांटस द्वारा दिनांक 21.4.2022 को नामान्तरकरण सं. 143 की नकल हेतु आवेदन किया, दिनांक 26.4.2022 को नकल प्राप्त होते ही यह अपील अवधि मध्य पेश की गई है। अभिभाषक अपीलांटस ने अपने कथन के समर्थन में आर.आर.डी.2009 पेज 195 एवं आर.आर.डी.1998 पेज 319 की नजीरें पेश करते हुये अपील अपीलांटस स्वीकार कर अपीलांटस के सही नाम नारायण सिंह एवं नन्द सिंह दर्ज करने हेतु प्रकरण तहसीलदार तालेडा को रिमाण्ड किये जाने का निवेदन किया गया।

अभिभाषक रेस्पो.सं. 1 लगायत 9 ने बहस के दौरान अपील अपीलांट में वर्णित तथ्यों पर अपनी सहमति प्रकट करते हुये अपील अपीलांट स्वीकार किये जाने का निवेदन किया गया।

न्यायालय जिला कलक्टर बून्दी (राज.) सत्यमेव जयते

जिला कलेक्टर; बून्दी

न्यायालय द्वारा पत्रावली पर उपलब्ध दस्तावेजों का अवलोकन किया तथा बहस उभयपक्ष पर मनन किया गया। अपील का परीक्षण सर्वप्रथम मियाद बिन्दु पर किये जाने पर प्रकट है कि अपीलांट द्वारा अपीलाधीन नामान्तरकरण दिनांक 01.03.2005 की जानकारी दिनांक 21.04.2022 को होना प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 5 भारतीय अवधि अधिनियम मय शपथ पत्र में अंकित किया है। लिमिटेशन के संबंध में कई न्यायिक विनिश्चयों में यह माना है कि जानकारी की तिथि से ही अवधि की गणना की जानी चाहिऐ। लिमिटेशन के संबंध में RRD 1998 पेज 319 में प्रतिपादित मत की रोशनी में न्यायहित में हम हस्तगत अपील का निर्णय मैरिट पर करना उचित समझते है। अतः अपील अन्दर मानते हुये अपील का निर्णय गुणावगुण पर किया जाता है।

अपील का गुणावगुण पर परीक्षण किये जाने पर प्रकट है कि आराजी खसरा सं. 67, 68, 247/3 कुल रकबा 9 बीघा 05 वाके ग्राम रामपुरियां का खातेदार श्योसिंह वल्द रामसिंह कौम राजपूत था। खातेदार श्योसिंह के देहान्त के उपरान्त फोती नामान्तरकरण सं.143 तंवरसिंह, राजूसिंह, मोहनसिंह, किशनसिंह, रामसिंह पि. श्योसिंह व धनकंवर, सजनकंवर पुत्रियां श्योसिंह कौम राजपूत के नाम तस्दीक किया गया। इस पर अपीलांटस को आपत्ति है कि फोती नामान्तरकरण में नारायणसिंह का नाम मोहनसिंह एवं नन्दसिंह का नाम रामसिंह दर्ज कर दिया गया है, अधीनस्थ न्यायालय द्वारा नामान्तरकरण पर जो सजरा बनाया गया है वह त्रुटिपूर्ण है। मृतक खातेदार के विधिक वारिसान की जांच किये बिना एवं उनको सुनवाई का अवसर प्रदान किये बिना त्रुटिपूर्ण सजरे के आधार पर नामान्तरकरण दर्ज किया जाना अंकित करते हुये उसे निरस्त किये जाने का निवेदन किया है। अपने कथन के समर्थन में अपीलांट द्वारा स्वयं का आधार कार्ड, मतदाता फोटो पहचान पत्र, राशनकार्ड की छायाप्रतियां एवं जमाबंदी संवत 2076 ग्राम तीरथ प्रस्तुत की गई है। जहां तक अपीलाधीन नामान्तरकरण में अंकित सजरे के गलत होने तथा वारिसान की सुनवाई नहीं किये जाने का प्रश्न है तो विधिक वारिसान की जांच की जाकर उनको सुनवाई का समुचित अवसर प्रदान किया जाना न्यायोचित प्रतीत होता है। अतः न्यायहित में अपील अपीलांट आंशिक रूप से स्वीकार की जाती है तथा प्रकरण अधीनस्थ न्यायालय को प्रतिप्रेषित (रिमाण्ड) किया जाकर मृतक खातेदार श्योसिंह के सभी विधिक वारिसान की जांच कर, उनको सुनवाई का समुचित अवसर दिया जाकर, नये सिरे से आदेश पारित कर नियमानुसार नामान्तरकरण तस्दीक करने की कार्यवाही किये जाने के आदेश दिये जाते है। पत्रावली फैसले में शुमार होकर दाखिल दफ्तर करवाई जावे।

आदेश आज दिनांक 06.02.2024 को खुले न्यायालय में सुनाया गया।

न्यायालय जिला कलक्टर बून्दी (राज.) सत्यमेव जयते

(अक्षय गोदारा)
जिला कलेक्टर, बून्दी